



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235615
CG-DL-E-07052022-235615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2006]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944

No. 2006]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

का.आ. 2111(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH168 के कि.मी. 43.25 से कि.मी. 68.174 (प्रान्त ऑफिस, मामलतदार ऑफिस कंपाउंड धानेरा) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17.02.2022" को "गुजरात समाचार" और "टाइम्स आफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH168 के कि.मी. 43.25 से कि.मी.68.174 (प्रान्त ऑफिस, मामलतदार ऑफिस कंपाउंड धानेरा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: बनासकांठा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धानेरा				
	गांव का नाम: धानेरा				
1	1322 प्लाट पैकी ब्लाक-A	निजी	गैर कृषि	0.0078	पटेल मशरूभाई देवजीभाई (1322 प्लाट पैकी ब्लाक-ए)
2	1322 प्लाट पैकी ब्लाक-B	निजी	गैर कृषि	0.0051	ठक्कर सीताबेन प्रवीनकुमार (1322 प्लाट पैकी ब्लाक-बी)
3	1322 प्लाट पैकी ब्लाक-C	निजी	गैर कृषि	0.0085	डा. मुकेश मंगल (1322 प्लाट पैकी ब्लाक-सी)
4	1322 प्लाट पैकी ब्लाक-D	निजी	गैर कृषि	0.0038	प्रजापति सगुनाबेन पन्नाभाई (1322 प्लाट पैकी ब्लाक-डी)
5	1323 प्लाट पैकी ब्लाक-E	निजी	गैर कृषि	0.0252	डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटेड, पालनपुर (1323 प्लाट पैकी ब्लाक-ई)
6	308	निजी	कृषि	0.0153	पटेल हेगोलभाई नवाभाई (308)
7	344	निजी	कृषि	0.0163	चौधरी जगदीशभाई जोईताभाई (344)
8	423	निजी	कृषि	0.0782	हरिजन शांतिभाई केवलाभाई (424)

	गांव का नाम: पंथवाड़ा				
9	128	निजी	गैर कृषि	0.0902	सार्वजनिक (128)
	गांव का नाम: वाछडाल				
10	472	निजी	कृषि	0.0954	कनबी मफाभाई जवाभाई (472)
	गांव का नाम: यावरपुरा				
11	29/P1	निजी	कृषि	0.0723	बरोट हेमजी हरजीजी (29/पी1)
12	33	निजी	कृषि	0.0126	बरोट मफाजी सवाजी (33)
			कुल	0.4307	

[फा. सं. RW/NH-12012/01/2016/PS-4/GJ/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

S.O. 2111(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH168 on the stretch of land from Km. 43.25 to Km. 68.174 (prant office, mamlatdar office compound dhanera) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Gujarat Samachar” and “Times of India” both dated 17.02.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH168 in the stretch of land from km 43.250 to 68.174 NH168 (prant office, mamlatdar office compound dhanera) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: Banaskantha			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dhanera				
	Village: Dhanera				
1	1322 Plot Paiki Block-A	Private	Non Agriculture	0.0078	Patel Mashrubhai devjibhai 1322 Plot Paiki Block-A
2	1322 Plot Paiki Block-B	Private	Non Agriculture	0.0051	Thakkar Sitaben Pravinkumar 1322 Plot Paiki Block-B
3	1322 Plot Paiki Block-C	Private	Non Agriculture	0.0085	Dr. Mukesh mangal 1322 Plot Paiki Block-C
4	1322 Plot Paiki Block-D	Private	Non Agriculture	0.0038	Parajapati Sagunaben Pannabhai 1322 Plot Paiki Block-D
5	1323 Plot Paiki Block-E	Private	Non Agriculture	0.0252	District Milk Product union limited, Palanpur 1323 Plot Paiki Block-E
6	308	Private	Agriculture	0.0153	Patel Hegolabhai navabhai 308
7	344	Private	Agriculture	0.0163	Chaudhari Jagdishbhai Joitabhai 344
8	423	Private	Agriculture	0.0782	Harijan Shantibhai kevlabhai 424
	Village: panthavada				
9	128	Private	Non Agriculture	0.0902	Sarvajanik 128
	Village: Vachhdal				
10	472	Private	Agriculture	0.0954	Kanabi Mafabhai javabhai 472
	Village: Yawarpura				
11	29/P1	Private	Agriculture	0.0723	barot Hemji Harjiji 29/P1
12	33	Private	Agriculture	0.0126	Barot mafaji Savaji 33
			TOTAL	0.4307	

[F. No. RW/NH-12012/01/2016/PS-4/GJ/3D]

RAJESH GUPTA, Director